संख्या-44/2022/634/छप्पन-2022-001-56-1007-9-2019

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 06 मई, 2022

विषय: जनपद ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किये जाने हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूमि के क्रय में निहित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-03/ना0उ0नि0-2022-ह0प0-2/2020-21 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद ललितपुर स्थित हवाई पट्टी के विस्तार व उसके हवाई अड्डे के रूप में विकास (फेज-1) एवं अन्य सम्बंधित कार्यों हेतु 02 ग्रामों, ललितपुर हद बाहर एवं अन्दर (शहरी) तथा सिवनीखुर्द (ग्रामीण) की कुल 91.773 है0 (226.77 एकड़) निजी भूमि को राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 में आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किए जाने की विहित व्यवस्था के अनुसार कुल अनुमानित लागत रू0 77,85,78,740/- तथा प्रस्तावित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की मूल्यांकित धनराशि रू0 8,79,28,008/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 86,65,06,748/- (रू0 77,85,78,740 +रू0 8,79,28,008) एवं उक्त भूमि के क्रय हेतु निबन्धन शुल्क की धनराशि रू0 76,75,880/-; इस प्रकार कुल धनराशि रू0 86,65,06,748/- + रू0 76,75,880/- = रू0 87,41,82,628/- (रूपए सत्तासी करोड़ इकतालीस लाख बयासी हजार छः सौ अठ्ठाइस मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-2022 में धनराशि रू0 5,00,00,000/- (रूपए पांच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-89/2021/1788/छप्पन-2021-02/2006 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 के द्वारा निर्गत की गयी है तथा शासनादेश संख्या-03/2022/2374/छप्पन-2021-02/2006 दिनांक 11 मार्च, 2022 के द्वारा रु० 10,00,00,000/- तथा शासनादेश संख्या-32/2022/470/छप्पन-2022-02/2006 दिनांक 26 मार्च, 2022 के द्वारा रु० 10,00,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है | इस प्रकार कुल रु0 25,00,00,000/- की धनराशि के व्यय के उपरांत भूमि क्रय किये जाने हेतु रु0 20,00,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का प्रस्ताव उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा किया गया है|

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ललितपुर स्थित हवाई पट्टी के विस्तार व उसके हवाई अड्डे के रूप में विकास (फेज-1) एवं अन्य सम्बन्धी कार्यों हेतु 02 ग्रामों, ललितपुर हद बाहर एवं अन्दर (शहरी) तथा सिवनीखुर्द (ग्रामीण) की कुल 91.773 है0 (226.77 एकड़) निजी भूमि को राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 19 मार्च, 2015 में आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किए जाने की विहित व्यवस्था के अनुसार क्रय किये जाने तथा प्रस्तावित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की मूल्यांकित धनराशि एवं उक्त भूमि के क्रय हेतु निबन्धन शुल्क हेतु अनुमोदित कुल रू0 87,41,82,628/- (रूपए सत्तासी करोड़ इकतालीस लाख बयासी हजार छः सौ अठ्ठाइस मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में रू0 10,00,00,000/- (रूपए दस करोड़ मात्र) के व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रूपए में)

क्रम सं0	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	निजी भूमि	77,85,78,740/-	10,00,00,000/-
2	निजी भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की धनराशि	8,79,28,008/-	
3	निबन्धन शुल्क	76,75,880/-	
	कुल योग	87,41,82,628/-	10,00,00,000/-

शर्तें /प्रतिबन्ध :-

(1) प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(8) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

(9) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 15 नवम्बर, 2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश दिनॉक 25.10.1983 व अन्य सन्दर्भित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा नवनिर्मित प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल, 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 की व्यवस्था का ध्यान रखा जायेगा।

(11) सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जायेगी।

(12) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि 10,00,00,000/- (रूपए दस करोड़ मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, ललितपुर के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजीगत लेखा-"लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय" से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-6/दस-2022, दिनांक 05 मई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

4/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 44/2022/634(1)/छप्पन-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

3- आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी ।

4- जिलाधिकारी, ललितपुर।

5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, ललितपुर।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13

8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।